राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ22(1)खा.वि./रिकोर्ड/2011 जयपुर दिनांक 11/12/2024

नीलामी सूचना

इस विभाग में पुरानी अनुपयोगी सामग्री जैसे लोहे की आलमारी, लोहे की टेबल, लकड़ी की टेबल, कुर्सियां एवं अन्य सामग्री की नीलामी दिनांक 16/12/2024 को प्रातः 11:00 बजे नीलामी समिति के समक्ष की जावेगी । अनुपयोगी सामान इस विभाग के अधीन सचिवालय परिसर में रखा हुआ है, जिसकी बुक वेल्यु राशि रूपये 1,88,385/- (रूपये एक लाख अट्ठासी हज़ार तीन सौ पिचासी मात्र) जिसका विस्तृत विवरण विभागीय वैबसाईट https://food.rajasthan.gov.in/ पर देखा जा सकता है । नीलामी/बोली में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म शासन सचिवालय के उत्तरी खण्ड में स्थित खाद्य विभाग के कमरा नं. 7030 मे किसी भी कार्य दिवस में आकर सामान के अवलोकन के लिए संपर्क किया जा सकता है ।

नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार है :-

1.प्रत्येक बोली लगाने वाले को 10,000/- रूपये (दस हजार रूपये) धरोहर राशि बोली लगाने से पूर्व जमा कराने होगें तथा अपना एक पहचान पत्र प्रस्तुत कर नीलामी में भाग ले सकते है ।

2.अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता की धरोहर राशि रोक कर शेष जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

3.अधिकतम बोलीदाता जिसके नाम बोली छोड़ी जाती है, से कुल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि उसी समय तथा शेष राशि माल सुपुर्दगी के समय ले ली जावेगी । उक्त राशि में अमानत राशि का समायोजन कर लिया जायेगा एवं सभी करों का भुगतान अतिरिक्त किया जायेगा ।

4.सामान जहां है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आवश्यक रूप से 2 दिवस में उठाना होगा ।

5.सामान की जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वयं की होगी, इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

6.बिक्री कर / स्थानीय कर इत्यादि क्रेता द्वारा पृथक से जमा कराना होगा।

7.नीलामी के समय मोबाईल उपयोग निषेध है।

8.अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में नीलामी छोडने/ना छोड़ने का अधिकार नीलामी हेतु गठित कमेटी का होगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

9.नकारा एवं अनुपयोगी सामान का निरिक्षण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है बाद में सामान के संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा

10.नीलामी के संबंध में सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा ।

11. अनुपयोगी समान "जहाँ है, जैसी स्थिती में है" के आधार पर नीलामी की जावेगी तथा इसी आधार पर सफल बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर ले जाना होगा

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

Store//letter,// 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,जयपुर।
4. भुगतान शाखा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,जयपुर।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वैबसाईट https://food.rajasthan.gov.in/ एवं एस.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. विभागीय नोटिस बोर्ड
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राजस्थान,जयपुर